न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 13/2015 दायर तारीख 27.04.2015

अनवान्

1. हरिश्चन्द्र पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम्

1. कन्हैयालाल पिता जगनाथ जाति धाकड़ उम्र 60 साल पेशा काश्त निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सुगनलाल पिता जगनाथ जाति धाकड़ उम्र 56 साल पेशा काश्त निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहनलाल जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 15/11/2022

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एकल खाते की कृषि भूमि ग्राम लक्ष्मीखेड़ा प0ह0 लक्ष्मीखेड़ा की खाता संख्या 236 की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम पर दर्ज हैं।

वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि न तो प्रतिवादीगण एवं न ही अन्य को विक्रय कर उसका कब्जा दिया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन करीब एक साल पूर्व वादी की उक्त खातेदारी आराजी के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण अतिक्रमी से कब्जा छोड़ने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण अतिक्रमी द्वारा कहा गया कि तुम तुम्हारी जमीन की पत्थरगढी करवा लो तो वादी द्वारा उसकी जमीन की पत्थरगढी करवा ली तथा वादी की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां में से 1 बीघा 2 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल का 8 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुगनलाल का 14 बिस्वां भूमि पर कब्जा पाया गया वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त कब्जा छोड़ने हेतु दिनांक 03.03.2015 को कहा तो प्रतिवादीगण साफ तोर से इन्कार हो गया।

वादी ने अनुतोष चाहा कि ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा की खाता संख्या 236 की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां में से 1 बीघा 2 बिस्वां जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल का 8 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुगनलाल का 14 बिस्वां भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने व कब्जा वापस वादी को सिपूर्द करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल जोशी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया ।

जवाब दावे में अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड स्वीकार किया। वादपत्र की चरण संख्या 2 को अस्वीकार कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण स्वयं के कब्जे एवं अधिकार शुदा खातेदारी भूमि पर काफी वर्षो से काबिज हैं एवं उक्त कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण कृर्षि कर रहे हैं। पत्थरगढी में दर्शित भाग को वक्त आवंटन कब्जा ही सिपूर्द नही किया गया ऐसी स्थिति में जिस कृषि भूमि पर वादी का कब्जा पूर्व में कभी नही रहा है तो पत्थरबढी को आधार बनाकर उक्त कृर्षि भूमि जो प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही हैं जिसे प्राप्त करने का विधिक तौर से अधिकारी नहीं हैं तथा प्रतिवादीगण विधिक तौर से अतिक्रमी नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 3 को अस्वीकार कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण द्वारा एक वर्ष पूर्व वादी की कोई भूमि पर कब्जा नहीं किया।

वादपत्र की चरण संख्या 4 एवं 5 विधि से सम्बन्धित हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादपत्र की चरण संख्या 6 को अस्वीकार कर अंकित किया कि ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार की खाता संख्या 236 की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां भूमि पर करीब एक वर्ष पूर्व कब्जा नहीं किया जबकि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर काफी वर्षो से काबिज हैं। जिससे वादी का कोई संबंध नहीं रहा हैं। वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं हैं।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 मौजा लक्ष्मीखेड़ा पेश की जो प्रदर्श–1 हैं। नक्शा ट्रेस ग्राम लक्ष्मीखेड़ा दिनांक 10.10.2019 का पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं। मौका पर्चा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं।

वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नम्बर 1 आया की लक्ष्मीखेड़ा की आराजी संख्या 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां भूमि वादी की खातेदारी की हैं।

.....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 2 आया की कन्हैयालाल का 8 बिस्वां एवं सुगनलाल का 14 बिस्वां जो वादी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का अधिकारी हैं एवं कब्जा पुनः वादी को सिपूर्द किये जाने।

.....जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 3 आया की वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 4 आया की वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा नहीं किया हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 5 अनुतोष क्या होगा।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 हरिशचन्द्र पिता हीरालाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीखेड़ा एवं पीडब्ल्यू–2 नरेन्द्र पिता सुगनलाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीखेड़ा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी एवं नरेन्द्र पिता सुगनलाल धाकड के बयान कराये हैं तथा मौजा लक्ष्मीखेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073, नक्शा ट्रेस ग्राम लक्ष्मीखेड़ा दिनांक 10.10.2019 एवं मौका पर्चा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा का पेश किया हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावे में अंकित तथ्यों का विश्लेषण करते हुये वाद पत्र खारिज किये जाने की मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न ग्राम लक्ष्मीखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 पर आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां भूमि हरिशचन्द्र पिता हीरालाल धाकड़ सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादी ने अपने वादपत्र में वादी की ग्राम लक्ष्मीखेड़ा की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां में से 1 बीघा 2 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल का 8 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुगनलाल का 14 बिस्वां भूमि पर कब्जा होना बताया हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में प्रतिवादीगण के कब्जे एवं अधिकार शुदा खातेदारी भूमि पर काफी वर्षो से काबिज हैं एवं उक्त कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण कृर्षि कर रहे हैं। पत्थरगढी में दर्शित भाग को वक्त आवंटन कब्जा ही सिपूर्द नही किया गया ऐसी स्थिति में जिस कृषि भूमि पर वादी का कब्जा पूर्व में कभी नही रहा है तो पत्थरबढी को आधार बनाकर उक्त कृर्षि भूमि जो प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही हैं जिसे प्राप्त करने का विधिक तौर से अधिकारी नहीं हैं इसलिए उक्त वादपत्र को खारिज किये जाने की मांग की हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

किन्तु प्रस्तुत गवाहों से तथा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत नही किया है जिससे यह होता हो कि ग्राम लक्ष्मीखेड़ा की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां में से 1 बीघा 2 बिस्वां भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल का 8 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुगनलाल का 14 बिस्वां भूमि पाने के अधिकारी हो। अर्थात उक्तानुसार भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अभिलिखित की जावे। जिससे दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं।

—: आदेश :—

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीखेड़ा की आराजी नम्बर 651/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वां में से 1 बीघा 2 बिस्वां भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल को 8 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुगनलाल को 14 बिस्वां भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 15 / 11 / 2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ